न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 – 91/2020(20/00115)

मोहनलाल पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा त. भादरा जिला हनुमानगढ।
– वादी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. रूकमा पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. संजय पुत्र बिमला पुत्री धर्मसिंह
6. सरोज पुत्री बिमला पुत्री धर्मसिंह
7. सुनीता पुत्री बिमला पुत्री धर्मसिंह
8. कविता पुत्री बिमला पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी हाल माखोसराणी जिला सिरसा(हरियाणा)
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा गान्धीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर बैनीवाल: **वादी**

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8**

निर्णय

दिनांक : 22/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा 17 एएमएस के खाता संख्या 46/39 के मु.न. 37 के किला नं. 5, 6 मु.न. 38 के किला नं. 1, 2, 8 ता 11, मु.न. 57 किला नं. 1 ता 3 कुल किता 11 की 2.783 है. नहरी व बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 धर्मसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 1 एसडीआर खाता सं. 43/35 के मु. नं. 56 किला नं. 21 ता 25 कुल किता 5 की 1.265 है. नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 धर्मसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के [illegible] इन्द्राज पुत्र परसाराम [illegible] खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के [illegible]न्त होने पर वादभूमि विरासतन नामान्तरण तन्हा प्रतिवादी धर्मसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज करवा रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी धर्मसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 9 बैंक को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 10 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी मोहनलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी चक 17 एएमएस सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी 17 एएमएस सम्वत् 2058 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी 1 एसडीआर सम्वत् 2058 प्रदर्श 3, एवं नामान्तरण रजि. चक 1 एसडीआर प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मोजा 17 एएमएस के खाता संख्या 46/39 के मु.न. 37 के किला नं. 5, 6 मु. न. 38 के किला नं. 1, 2, 8 [illegible] कुल किता 11 की 2.783 है. नहरी व बारानी खातेदारी प्रति[illegible] 1 धर्मसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रका[illegible] 35 के मु. नं. 56 किला नं. 21 ता 25 कुल किता 5 की 1.[illegible] है. नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 धर्मसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र में अमरसिंह के वारिसान में पत्नि लिछमा फौत, दो पुत्री संतोष एवं सुनीता व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested

तीन पुत्र दीवान, भालसिंह वं राजू मौजूद होना एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 17 एएमएस के खाता संख्या 46/39 के मु.न. 37 के किला नं. 5, 6 मु.न. 38 के किला नं. 1, 2, 8 ता 11, मु.न. 57 किला नं. 1 ता 3 कुल किता 11 की 2.783 है. नहरी व बारानी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 धर्मसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 1 एसडीआर खाता सं. 43/35 के मु. नं. 56 किला नं. 21 ता 25 कुल किता 5 की 1.265 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी मोहनलाल व प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 8 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़